अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015.

सं0 5/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 16/2010-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 फरवरी, 2010 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 118(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,--

(i) प्रथम पैरा में,--

(क) "जो पैकिंग मशीन की सहायता से" शब्दों से आरंभ होने वाले और "प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर "जो, यथास्थिति, सारणी 1 के स्तंभ (3) या स्तंभ (4) या स्तंभ (5) अथवा सारणी 2 के स्तंभ (3) या स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट श्रंखला में ऐसी अधिकतम पैकिंग गति वाली पैकिंग मशीन की सहायता से, जिस गति से वे ऐसे विनिर्दिष्ट माल की पैकिंग के लिए, जो यथास्थिति, सारणी 1 या सारणी 2 के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट खुदरा विक्रय कीमतों वाले पाउचों में पैक किया जाता है, प्रचालित की जा सकती है, विनिर्मित किया गया है, जिसकी शुल्क की दर सारणी 1 के स्तंभ (3क) या स्तंभ (3ख) या स्तंभ (4क) या स्तंभ (4ख) या स्तंभ (5) या सारणी 2 के स्तंभ (3) या स्तंभ (4क) या स्तंभ (4ख) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) सारणी 1, टिप्पण और उसके नीचे दृष्टांत 1 और 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"सारणी – 1

क्रम	खुदरा विक्रय	प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन शुल्क की दर (रुपए लाख में)

सं0	कीमत (प्रति पाउच)					
		चबाने वाला तम्बाकू (फिल्टर खैनी से भिन्न)		चबाने वाला तम्बाकू (फिल्टर खैनी के रूप में सामान्यतः ज्ञात)		
		प्रति मिनट 300 पाउचों तक		प्रति मिनट 301 पाउचों और उससे ऊपर तक		कोई गति
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
		चूना ट्यूब/चूना पाउच के बिना	**चूना ट्यूब/चूना पाउच सहित**	**चूना ट्यूब/चूना पाउच के बिना**	**चूना ट्यूब/चूना पाउच सहित**	
		(3**क**)	(**3ख**)	(**4क**)	(**4ख**)	
1.	1.00 रु0 तक	24.15	22.94	38.64	36.71	16.42
2.	1.00 रु0 से अधिक किन्तु 1.50 रु0 से अनधिक	36.22	34.41	57.96	55.06	24.63
3.	1.50 रु0 से अधिक किन्तु 2.00 रु0 से अनधिक	43.47	41.05	69.55	65.68	31.20
4.	2.00 रु0 से अधिक किन्तु 3.00 रु0 से अनधिक	65.20	61.58	104.32	98.53	44.46
5.	3.00 रु0 से अधिक किन्तु	81.14	76.31	129.82	122.10	56.32

	4.00 रु0 से अनधिक					
6.	4.00 रु0 से अधिक किन्तु 5.00 रु0 से अनधिक	101.42	95.39	162.28	152.62	66.88
7.	5.00 रु0 से अधिक किन्तु 6.00 रु0 से अनधिक	121.71	114.47	194.74	183.14	76.24
8.	6.00 रु0 से अधिक किन्तु 7.00 रु0 से अनधिक	193.19	181.12	309.10	289.79	84.50
9.	7.00 रु0 से अधिक किन्तु 8.00 रु0 से अनधिक	193.19	181.12	309.10	289.79	91.74
10.	8.00 रु0 से अधिक किन्तु 9.00 रु0 से अनधिक	193.19	181.12	309.10	289.79	98.05
11.	9.00 रु0 से अधिक किन्तु 10.00 रु0 से अनधिक	193.19	181.12	309.10	289.79	103.49
12.	10.00 रु0 से अधिक किन्तु 15.00 रु0 से अनधिक	272.40	258.78	435.84	414.05	103.49+10.35x(की-10)

13.	15.00 रु0 से अधिक किन्तु 20.00 रु0 से अनधिक	341.41	324.34	546.25	518.94	
14.	20.00 रु0 से अधिक किन्तु 25.00 रु0 से अनधिक	401.15	381.09	641.84	609.75	
15.	25.00 रु0 से अधिक किन्तु 30.00 रु0 से अनधिक	452.50	429.87	724.00	687.80	
16.	30.00 रु0 से अधिक किन्तु 35.00 रु0 से अनधिक	496.24	471.43	793.99	754.29	
17.	35.00 रु0 से अधिक किन्तु 40.00 रु0 से अनधिक	533.10	506.45	852.97	810.32	
18.	40.00 रु0 से अधिक किन्तु 45.00 रु0 से अनधिक	563.76	535.57	902.01	856.91	
19.	45.00 रु0 से अधिक किन्तु 50.00 रु0 से अनधिक	588.81	559.37	942.10	895.00	
20.	50.00 रु0 से अधिक	588.81+ 11.78x	559.37+ 11.19x (की-50)	942.10+ 18.84x (की-50)	895.00+ 17.90x (की-50)	

		(**की**-50)				
		जहां ऊपर 'की' पाउच की वह खुदरा विक्रय कीमत प्रदर्शित करता है, जिस पर शुल्क दर अवधारित की जानी है ।				

टिप्पण :- क्रम सं. 12 के सामने, स्तंभ सं. (5) में, की प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, स्तंभ सं. (2) में, की प्रविष्टि 'रुपए 10.01 और उससे ऊपर के रूप में पठित होगी ।'।

दृष्टांत 1 :- किसी चबाने वाले तंबाकू (फिल्टर खैनी से भिन्न) के पाउच के लिए, जिसमें चूना ट्यूब नहीं है और जिसे किसी ऐसी मशीन की सहायता से पैक किया गया है जिसकी वह अधिकतम पैकिंग गति, जिसपर वह उक्त खुदरा विक्रय कीमत वाले चबाने वाले तम्बाकू (फिल्टर खैनी से भिन्न) पाउच की पैकिंग के लिए प्रचालित की जा सकती है प्रति मिनट 450 पाउच है और जिसकी खुदरा विक्रय कीमत 55 रू0 (अर्थात् "की") है प्रतिमास प्रति पैकिंग मशीन के लिए शुल्क की दर = 942.10+18.84x (55-50) लाख रुपए = 1036.3 लाख रुपए होगी ।

दृष्टांत 2 :- किसी फिल्टर खैनी के पाउच के लिए, प्रतिमास प्रति पैंकिंग मशीन के लिए शुल्क की दर, जिसकी खुदरा विक्रय कीमत 15.00 रु0 (अर्थात् 'की') है, और जो किसी भी अधिकतम पैकिंग गति वाली मशीन की सहायता से पैक किया गया है, = 103.49 + 10.35 x (15-10) लाख रुपए = 155.24 लाख रुपए होगी ।

सारणी-2

क्रम सं0	खुदरा विक्रय कीमत (प्रति पाउच)	प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन शुल्क की दर (रुपए लाख में)		
		जर्दा सुगंधित तम्बाकू	अविनिर्मित तम्बाकू	
		कोई गति	कोई गति	
(1)	(2)	(3)	(4)	
			चूना ट्यूब/चूना पाउच के बिना (4क)	**चूना ट्यूब/चूना पाउच सहित (4ख)**
1.	1.00 रु0 तक	27.05	13.30	12.63
2.	1.00 रु0 से अधिक किन्तु 1.50 रु0 से अनधिक	40.57	19.95	18.95

3.	1.50 रु0 से अधिक किन्तु 2.00 रु0 से अनधिक	48.68	23.94	22.61
4.	2.00 रु0 से अधिक किन्तु 3.00 रु0 से अनधिक	73.03	35.91	33.91
5.	3.00 रु0 से अधिक किन्तु 4.00 रु0 से अनधिक	90.88	44.68	42.02
6.	4.00 रु0 से अधिक किन्तु 5.00 रु0 से अनधिक	113.60	55.85	52.63
7.	5.00 रु0 से अधिक किन्तु 6.00 रु0 से अनधिक	136.32	67.03	63.04
8.	6.00 रु0 से अधिक किन्तु 7.00 रु0 से अनधिक	216.37	106.39	99.74
9.	7.00 रु0 से अधिक किन्तु 8.00 रु0 से अनधिक	216.37	106.39	99.74
10.	8.00 रु0 से अधिक किन्तु 9.00 रु0 से अनधिक	216.37	106.39	99.74
11.	9.00 रु0 से अधिक किन्तु 10.00 रु0 से अनधिक	216.37	106.39	99.74
12.	10.00 रु0 से अधिक किन्तु 15.00 रु0 से अनधिक	305.09	150.01	142.51
13.	15.00 रु0 से अधिक किन्तु 20.00 रु0 से अनधिक	382.37	188.01	178.61
14.	20.00 रु0 से अधिक किन्तु 25.00 रु0 से अनधिक	449.29	220.91	209.87
15.	25.00 रु0 से अधिक किन्तु 30.00 रु0 से अनधिक	506.80	249.19	236.73
16.	30.00 रु0 से अधिक किन्तु 35.00 रु0 से अनधिक	555.79	273.28	259.61

17.	35.00 रु0 से अधिक किन्तु 40.00 रु0 से अनधिक	597.08	293.58	278.90
18.	40.00 रु0 से अधिक किन्तु 45.00 रु0 से अनधिक	631.41	310.46	294.94
19.	45.00 रु0 से अधिक किन्तु 50.00 रु0 से अनधिक	659.47	324.26	308.05
20.	50.00 रु0 से अधिक	659.47+ **13.19** x (**की**-50)	324.26 + **6.49** x (**की**-50)	308.05 + **6.16** x (**की**-50)
		जहां ऊपर 'की' पाउच की वह खुदरा विक्रय कीमत प्रदर्शित करता है, जिस पर शुल्क दर अवधारित की जानी है ।		

दृष्टांत 2 :- किसी जर्दा सुगंधित तम्बाकू के पाउच के लिए, प्रतिमास प्रति पैंकिंग मशीन के लिए शुल्क की दर जिसकी खुदरा विक्रय कीमत 55.00 रु0 (अर्थात् 'की') है, और जो किसी भी अधिकतम पैकिंग गति वाली मशीन की सहायता से पैक किया गया है, = 659.47 + 13.19 x (15-10) लाख रुपए = 725.42 लाख रुपए होगी ।";

(ii) पैरा 2 में "पैकिंग मशीनों की सं0" शब्दों के स्थान पर, "पैकिंग मशीनों की संख्या और ऐसी अधिकतम पैकिंग गति जिसपर मशीन विभिन्न खुदरा विक्रय कीमात वाले विनिर्दिष्ट माल की पैकिंग के लिए प्रचालित की जा सकती है" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) पैरा 3 में, सारणी 2 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :--

"सारणी-2

क्रम सं0	शुल्क	अविनिर्मित तंबाकू के लिए शुल्क अनुपात	चबाने वाला तंबाकू के लिए शुल्क अनुपात
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन उदग्रहणीय शुल्क	0.9291	0.8139
2	वित्त अधिनियम, 2005 की धारा 85 के	0.0709	0.0698

	अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क		
3	वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 136 के अधीन उदग्रहणीय राष्ट्रीय विपत्ति समाश्रित शुल्क	0.0	0.1163
4	वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 91 के अधीन उदग्रहणीय शिक्षा उपकर	0.0	0.0
5	वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 136 के अधीन उदग्रहणीय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0.0	0.0"

[फा.सं0 334/5/2015-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 16/2010-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 फरवरी, 2010, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 118(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 17/2014-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि.448, तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।